classmate
Date
Page

DATE: 11/08/2020
CLASS: B.A(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 06 (THE UNION EXECUTIVE: PRESIDENT)
LECTURE: 34 (THIRTY FOUR)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ :

संकट या आपात की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष एवं अतिरिक्त शक्ति प्रदान की गई। ये संकटकालीन शक्तियाँ या संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार हैं—

(i) युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से सम्बंधित संकटकालीन व्यवस्था (अनु. 352) इसे राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात के सम्बंध में संवैधानिक व्यवस्था निम्न प्रकार है—

(ऽ) अनुच्छेद 352 में उल्लेख है कि 'युद्ध' 'बाहरी आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण सम्पूर्ण भारत या इसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है।

(ऽऽ) मूल संविधान में 'आंतरिक अशांति' शब्द का उल्लेख था, जिसको 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' को जोड़ा गया।

(iii) राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा तभी की जा सकती है, जब संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे भेजे।

Scanned with CamScanner

(iv) ऐसी घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई (2/3) बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होगा। यह अनुमोदन एक माह के अंदर होना चाहिए। यदि एक माह के अन्दर अनुमोदन मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहता, किन्तु एक बार अनुमोदन मिलने पर छह माह के लिए प्रवर्तन में बना रह सकता है। पुनः अनुमोदन के बाद अगले छह माह के लिए, इसी तरह से अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बना रह सकता है।

(विशेष बहुमत)

(v) लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपात को समाप्त किया जा सकता है।

(vi) राष्ट्रीय आपात पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलायी जायेगी।

(vii) आपात की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

(viii) राष्ट्रीय आपात के प्रवर्तन या लागू रहने के समय अनु० 20 एवं 21 के अन्तर्गत उल्लेखित मौलिक अधिकारों को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं।

अभी तक राष्ट्रीय आपात तीन बार लागू किए गए हैं (i) 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय (ii) 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण (iii) 1975 में।

Next-

Scanned with CamScanner

(2) राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था—

इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो 'राष्ट्रपति शासन' की घोषणा वह कर सकता है।

अनुच्छेद 365 में यह उल्लेख किया गया कि यदि कोई राज्य केन्द्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल या असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तरीके के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहाँ इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

संसद के साधारण बहुमत से एक बार में छह माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु छह माह के अन्दर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है।

44वें संविधान संविधान के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि तीन वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा तभी पारित किया जा सकेगा, जब उस समय राष्ट्रीय आपात (अ0352) प्रवर्तन में हो तथा चुनाव

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

आयोग यह प्रमाणित कर दे कि इस समय राज्य में चुनाव करवाना सम्भव नहीं है। किसी भी परिस्थिति में तीन वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता है।

राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद—

(i) देश का संघात्मक ढाँचा एकात्मक बन जाता है।

(ii) राज्य की विधान सभा निलंबित हो सकती है और संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अथवा राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है।

(iii) वित्तीय शक्तियों का प्रयोग व आचरण सम्बंधी निर्देश संसद दे सकती है।

(3) वित्तीय संकटकालीन व्यवस्था —

अनु० 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा 2 माह (60 दिन) तक लागू रहती है और यदि संसद साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर दे तो यह तब तक लागू रहती जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें। इसकी अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। इसे लागू रहने पर संघ, प्रांत या अन्य सरकारी कर्मचारियों, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि का वेतन कम किया जा सकता है।

—— × —— × —— ×